

THE JINL COOPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

(Registration No. 2025012800036525)

Terms and Conditions for Unnati Deposit
उन्नति जमा के लिए नियम और शर्तें

1. **Lock-in Period:**

The Unnati Investment Plan is a fixed-term deposit with a lock-in period of 36 (thirty-six) months. Early pre-closure of the deposit before completion of 36 months is not permissible under any circumstances.

1. **लॉक-इन अवधि:**

उन्नति निवेश योजना एक निश्चित अवधि की जमा राशि है जिसकी लॉक-इन अवधि 36 (छत्तीस) महीने है। 36 महीने पूरे होने से पहले जमा राशि को किसी भी परिस्थिति में समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।

2. **Interest and Repayment:**

The deposited amount will be payable every month with interest over the 36-month tenure. The total amount, including principal and interest, will be payable to customer on every month upto 36 months.

2. **ब्याज और चुनौतीगतान्:**

जमा की गई राशि 36 महीने की अवधि में व्याज सहित हर महीने देय होगी। मूलधन और व्याज सहित कुल राशि, ग्राहक को 36 महीने तक हर महीने देय होगी।

3. **Payment Method:**

The accumulated amount will be transferred to the customer's designated Jayant India Nidhi Ltd savings account in equal installments over the 36 months period.

3. **भुगतान विधि:**

संचित राशि ग्राहक के नामित "द जेआईएनएल कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड" सदस्य के बचत खाते में 36 महीने की अवधि में समान किरणों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

4. **Tax Deduction at Source (TDS):**

The company will issue a certificate in the prescribed form for tax deducted at source on the interest earned from Unnati Deposits, as per applicable laws.

4. **स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):**

कंपनी लागू कानूनों के अनुसार, उन्नति जमा से अर्जित व्याज पर स्रोत पर कर कटौती के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र जारी करेगी।

5. **Nominee and Deceased Customer:**

In the event of the customer's demise during the tenure of the Unnati Deposit, the remaining balance can be transferred to the nominee's account in Jayant India Nidhi Ltd, subject to the submission of the deceased claim form and relevant legal documentation.

5. **नामिती और मृतक ग्राहक:**

उन्नति जमा की अवधि के दौरान ग्राहक की मृत्यु होने की स्थिति में, शेष राशि मृतक दावा प्रपत्र और संबंधित कानूनी दस्तावेज जमा करने के अधीन, "द जेआईएनएल कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड" में नामांकित व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित की जा सकती है।